न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल बोर्ड, केम्प, सागर म०प्र०

1- तुलसी वल्द धनसिंग लोधी

2- प्यारेलाल वल्द रम्मू लोधी

3- पुनुवा वल्द बिर्जवा अहिरवार

सभी निवासी ग्राम बारौ तह० घुवारा

जिला छतरपुर म०प्र० -- आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

// विरूद्ध //

हरीराम वल्द पलटुवा चढार

निवासी ग्राम बारौ तह०घुवारा जिला छतरपुर -- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता

योग्य अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार घुवारा जिला छतरपुर के रा•प्र•क्र•। 25/अ-12/वर्ष 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 21.7.2014 से परिवेदित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदकगण द्वारा निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करते हैं --

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

...ण क्रमांक :—निगरानी—1386—एक/2017 जिला—छतरपुर

तुलसी लोधी आदि विरूद्ध हरीराम चढ़ार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22—08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार घुवारा, जिला—छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 25/अ—12/2013—2014 में पारित आदेश दिनांक 21—07—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 30—10—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	